अनुसूची 14–फारम नं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, उपायुक्त, राँची

विविध वाद सं०–06/2016–17

रूद्रप्रताप सिंह मुण्डा – आवेदक

–बनाम–

राज्य एवं मेसर्स जे०एस०डब्ल्यु झारखण्ड स्टील लि० वगै;– विपक्षी

24
4.2.18

आवेदक (1) रूद्र प्रताप सिह मुण्डा स्व० जगरनाथ सिह मुण्डा (2) सुरेन्द्र सिह मुण्डा पिता– स्व० गदाधर मुण्डा जाति– मुण्डा निवासी–पण्डाडीह, थाना–सोनाहातु जिला–राँची ने छोटानागपुर काश्ताकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के के तहत मेसर्स जे० एस डब्ल्यु झारखण्ड स्टील लि० वगै० द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री रामनाथ चौबे पिता–स्व० एस० एन० चौबें एवं राजीव कुमार गुप्ता– पिता– स्व० श्री चन्द्र गुप्ता एवं नवीन कुमार ओझा पिता– स्व०शैलेन्द्र कुमार ओझा एवं श्री वसवराज दलगडे पिात– स्व० महादेवप्पा दलगडे बी–236, भूतल, रोड नं०–03, अशोकनगर, जिला–राँची के साथ

ग्राम	थाना सं०	खेवट सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़)
~~पण्डाडीह~~ पण्डाडीह सोनाहातु	03	63	735	970	0.41
			744	1002	1.00
			761	936	
				937	
				938	
				941	
				942	
				943	
				944	
			962	966	
				967	
				968	
				969	
			763	989	
			766	958	
				965	
			771	919	
				955	
				956	
				कुल रकबा–18.11 एकड़	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पर्ण। तारीख सहित

भूमि बिक्री करने की अनुमति के लिय आवेदन पत्र दिया है, इसी के आधार पर इस विविध वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन पत्र की जाँच भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू से कराई गई। प्रस्तुत मामले में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू, राँची ने पत्रांक 29/रा0 दिनांक 11.01.2018 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि खतियान में रैयत किस्टो माँझी के नाम से कायमी दर्ज है। खतियान में खेवटदार का बनाम बलराम सिंह है मुण्डा, खेवट सं0–64 दर्ज जो भूमि खेवट सं०–13 के खेवटदार हिकीम सिंह से जरपेशगी प्राप्त था। जरपेशगी की सीमा समाप्त होने के पश्चात भूमि खेवट सं०–13 के खेवटदार हिकीम सिंह के अधिन हो गया जिसमें भूमि की प्रकृति खुटकट्टी दर्ज है। आवेदकगण खेवट नं०–13 खेवटदार के वंशज की हैसियत से भूमि बिक्री करना चाहते हैं।

भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मुण्डारी खुँटकट्टी के जमींदार द्वारा लिखित आपत्ति दी है कि:– कम्पनी द्वारा रैयतों को 90 प्रतिशत एवं जमींदार को 10 प्रतिशत दिया जाता है और रैयत को अपना जमीन का हक नहीं बनाकर जमींन्दार को सर्वे-सर्वा बनाया जाता गया है। कम्पनी भूमि को क्रय बिक्रय के क्रम में परमिशन एवं रजिस्ट्री पट्टा में खतियानी रैयत के वशजों को पक्षकार नही बनया जा रहा है, जबकि भमि का दखल उन्ही के पास निहित है साथ ही जमीन का कुल मुल्य 90 प्रतिशत राशि रैयतों को दिया जाता रहा है। कम्पनी द्वारा अभी तक लगभग हजरों एकड़ जमीन क्रय की गई है, परन्तु भूमि पर किसी का दखल नही लिया गया है और नही जनहित के

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

के दृष्टिकोण से क्रय भूमि पर किसी तरह का निर्माण किया गया है।

कम्पनी द्वारा दस वर्ष पूर्व निधारित दर पर ही क्रय किया जा रहा है, लेकिन कम्पनी द्वारा पुराने दर   ही भूगतान किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुये नये नये दर पर क्रय करना चाहिए। मुण्डारी खुँटकट्टी जमींदार पराम्परा के अनुसार वंश में बड़ा होता है वह स्वत जमींददार (मालिक) बनता है। भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा छो० का०अधि० की धारा 241 के तहत प्रस्तुत भूमि बिक्री अनुमति वाद सं० को खारिज करने की अनुशंसा की है।

अतः भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू से प्रतिवेदन द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आवेदकगण द्वारा छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उपायुक्त, राँची
(हस्ताक्षर) 4/2/18

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 4/2/18
उपायुक्त, राँची

आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बु० को पत्रांक 248(ii) दिनांक 15/2/18 के माध्यम प्रेषित।
15.2.18